धारा-133. कठिनाईयों के निवारण करने का अधिकार-1[(1) राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जिसे वह इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उपबन्धों के नियमों के अधीन निर्वाचन से सम्बन्धित किसी मामले में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश यथासम्भव शीघ्र, राज्य मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।